"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 मई 2018 — वैशाख 20, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय के अंतर्गत आधार पाठ्यक्रम केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :–

अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान	नाम/पदनाम
34A(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल अंग्रेजी बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल हिन्दी दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल हिन्दी बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल हिन्दी सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा

(1)	(2)
34A(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शा.दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शा. जेपी वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 3. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शा. भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर 4. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर 5. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
34A(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय इंदिरा गांधी कला एवं वाणिज्य महावि. वैशालीनगर, दुर्ग 2. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शा. पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तुरी, बिलासपुर 3. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शा. महाविद्यालय, नवागढ़ जिला–जॉजगीर–चांपा 4. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय महाविद्यालय, उदयपुर 5. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
34A(3)(iv) शासन द्वारा अनुशंसित कुलाधिपति द्वारा निर्देशित विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. श्रीमती विश्वासी एक्का, प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर 2. डॉ. श्रीमती रेणु सक्सेना, प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रायुपर 3. डॉ. श्रीमती मीता चक्रवर्ती, प्राध्यापक अंग्रेजी शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग 4. डॉ. श्रीमती कीर्ति तिवारी, प्राध्यापक अंग्रेजी शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महावि. रायपुर 5. डॉ. राजेश कुमार दुबे, प्राचार्य (हिन्दी) शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा जिला–रायपुर
34A(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, आधार पाठ्यक्रम पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **कला संकाय अन्तर्गत संगीत/नृत्य/चित्रकला** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगीत पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगीत दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगीत बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगीत सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, संगीत शा. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, संगीत इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ 3. विभागाध्यक्ष, संगीत सीएमडी महाविद्यालय, बिलासपुर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, संगीत शा. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग 2. विभागाध्यक्ष, संगीत शा. कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, संगीत भातखण्डे संगीत महाविद्यालय, बिलासपुर
34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग 2. श्री अमृत खरे, प्राध्यापक, शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग 3. डॉ. ए.वी. व्यौहार, प्राध्यापक, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ 4. डॉ. बीना विश्वरूप, प्राध्यापक, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ 5. डॉ. विजय व्ही. जोशी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दूब महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगीत, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **कला संकाय अन्तर्गत भाषा विज्ञान** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :–

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भाषा विज्ञान पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, भाषा विज्ञान पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, भाषा विज्ञान शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर
34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ.(कु) रश्मि यदु, सहायक प्राध्यापक, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	1. संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भाषा विज्ञान, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18—2/2017/38—2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 की धारा—34 (ए) की उपधारा—(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14—11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03—10—2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा—34 (ए) की उपधारा—(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **कला संकाय अन्तर्गत ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34A(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	**1.** अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, **ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान** पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर **2.** अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, **ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान** दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग
34A(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	**1.** डॉ. हरिश कुमार साहू, व्याख्याता **ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान** पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34A(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	**2.** श्री संतुराम कश्यप, व्याख्याता, **ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान** पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34A(3)(iv) शासन द्वारा अनुशंसित कुलाधिपति द्वारा निर्देशित विषय विशेषज्ञ	-
34A(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, **ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान**, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप—सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **कला संकाय अन्तर्गत हिन्दी** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :–

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	नाम/पदनाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शा. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शा. शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग 3. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शा. जे.पी. वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शा. भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर 5. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शा. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शा. चंदूलाल चन्द्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, पाटन 3. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शा. महामाया महाविद्यालय, रतनपुर, बिलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शा. इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर 5. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुर

34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. श्रीमती श्रीदेवी चौबे, प्राध्यापक, शासकीय बीसीएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी 2. डॉ. कैलाश शर्मा प्राध्यापक, इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय वैशालीनगर 3. डॉ. अंजली शर्मा, प्राध्यापक, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 4. डॉ. योगेन्द्र मोतीवाला, प्राध्यापक, शासकीय दंतेश्वरी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर 5. डॉ. उमेश प्रसाद शर्मा, प्राध्यापक, शासकीय राजमोहनी देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **कला संकाय अन्तर्गत उर्दू** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, उर्दू पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल उर्दू बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, उर्दू शा. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, उर्दू दुर्गा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. फरीदा उल मुस्तफा, प्राध्यापक-उर्दू, डॉ. हरिसिंग गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 2. प्रो.(श्रीमती) आसमा सईद, सहायक प्राध्यापक, उर्दू, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, उर्दू, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **कला संकाय अन्तर्गत अंग्रेजी** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शा.संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शा. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 3. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर 4. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शास. राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर 5. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शा. महाविद्यालय, अभनपुर 2. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शा. महाविद्यालय अकलतरा 3. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शा. महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर 4. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शा. विज्ञान महाविद्यालय अम्बिकापुर 5. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शा. विज्ञान महाविद्यालय उतई

34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. सोमली गुप्ता, प्राध्यापक अंग्रेजी, शासकीय महाविद्यालय, धमधा, दुर्ग 2. श्री शान्तुन घोष, सहायक प्राध्यापक, शासकीय एस.ई.एस स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर, 3. श्री व्ही. अरूण कुमार, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर, कांकेर 4. डॉ. सावित्री त्रिपाठी, प्राध्यापक, शास. जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 5. डॉ. कीर्ति तिवारी, प्राध्यापक अंग्रेजी शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **कला संकाय अन्तर्गत दर्शनशास्त्र** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, दर्शनशास्त्र पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, दर्शनशास्त्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल दर्शनशास्त्र बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र शा. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र शा. दिग्विजय स्नताकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र शा. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर
34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. जगेलाल गहरे, प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 2. डॉ. लक्ष्मीकांत साहू, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, दर्शनशास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **कला संकाय अन्तर्गत संस्कृत** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संस्कृत पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संस्कृत दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल संस्कृत बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल संस्कृत बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल संस्कृत सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, संस्कृत शा. दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, संस्कृत शा. कमला देवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, संस्कृत कल्याण कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भिलाई 2. विभागाध्यक्ष, संस्कृत शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर 3. विभागाध्यक्ष, संस्कृत सी.एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर
34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. श्री आई.पी. तिवारी,सहायक प्राध्यापक वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, कंगोली, जगदलपुर 2. डॉ. सुमन सिंह बघेल, प्राचार्य, शासकीय कमलादेवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव 3. डॉ. बी.पी. तिवारी, प्राचार्य, सरस्वती महाविद्यालय सुभाषनगर, अम्बिकापुर 4. डॉ. सतेन्यु शर्मा, प्राध्यापक, शास. संस्कृत महाविद्यालय,रायपुर। 5. डॉ. सुषमा तिवारी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय कमला देवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संस्कृत, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

मानन्नीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **कला संकाय अन्तर्गत प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स)** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स) पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स) दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स) सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स) शा. दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, ज्योतिष शा. दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स) कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग 3. विभागाध्यक्ष, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स) श्री रामेश्वर गहिरा गुरू प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्रीकोट जिला-बलरामपुर
34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. तोयनिधि वैष्णव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय रायपुर 2. डॉ. रामकिशोर मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय रायपुर 3. श्री बहुरन सिंह पटेल सहायक प्राध्यापक, शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय रायपुर 4. डॉ. बीपी शर्मा सहायक प्राध्यापक, शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय रायपुर 5. श्री प्रशान्त मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, श्री रामेश्वर गहिरा गुरू प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्रीकोट जिला-बलरामपुर
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स), पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल / कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **शिक्षा संकाय अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i)विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शारीरिक शिक्षा पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शारीरिक शिक्षा दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा सेठ आरसएस महाविद्यालय, दुर्ग
34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. श्रीमती रीता वेणुगोपाल, प्राध्यापक पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 2. डॉ.राजीव चौधरी, प्राध्यापक पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 3. श्री निलेश तिवारी, सहायक प्राध्यापक, रतनचन्द्र सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग 4. डॉ. प्रमोद तिवारी, सहायक प्राध्यापक सेठ आरसीएस महाविद्यालय, दुर्ग
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शारीरिक शिक्षा, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18—2/2017/38—2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 की धारा—34 (ए) की उपधारा—(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14—11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03—10—2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा—34 (ए) की उपधारा—(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **शिक्षा संकाय अन्तर्गत शिक्षा** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, शिक्षा हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, शिक्षा डी.पी विप्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 3. विभागाध्यक्ष,शिक्षा धनश्याम सिंह आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई 4. विभागाध्यक्ष, शिक्षा संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर 5. विभागाध्यक्ष, शिक्षा सूर्या महाविद्यालय, जगदलपुर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, शिक्षा सेंट विसेंट पेलोटी कॉलेज,रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, शिक्षा मौलाना आजाद कॉलेंज शिक्षा महा. बिलासपुर 3. विभागाध्यक्ष, शिक्षा जगदगुरू शंकराचार्य हुडकों महाविद्यालय,भिलाई 4. विभागाध्यक्ष, शिक्षा सेन्ट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाविद्यालय अम्बिकापुर 5. विभागाध्यक्ष; शिक्षा क्राईस्ट महाविद्यालय जगदलपुर

34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. रजत कुमार जैन प्राध्यापक शिक्षा, शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, दुर्ग 2. श्रीमती प्रीति यादव, सहायक प्राध्यापक शिक्षा सुभम शिक्षा समिति महावि. बिलासपुर 3. श्रीमती रश्मि पटेल, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विवेकानंद इंस्टीटयूट ऑप एजुकेशन रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा,रायपुर 4. डॉ. सोमना जाकोब,सहा प्राध्यापक, काईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर 5. डॉ. श्रीमती वाणी सुब्रमनियनम, सहा.प्राध्यापक शिक्षा भिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली भिलाई
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राणीशास्त्र** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, बरपाली 4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अम्बिकापुर 5. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, चारामा

34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. पारमिता दूबे, सहायक प्राध्यापक, शा. जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर 2. डॉ. मधुलिका राय, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, उतई 3. डॉ.एल.पी.मिरी, सहायक प्राध्यापक शा. जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर 4. श्री अमित सिंह बनाफर, सहायक प्राध्यापक शा.महाविद्यालय सिलफिली 5. डॉ.एच.के.एस. गजेन्द्र, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

मानीय राज्यपाल / कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2 / 2017 / 38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11 / 2010 / रास / यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत मानव विज्ञान** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मानव विज्ञान पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मानव विज्ञान दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मानव विज्ञान सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मानव विज्ञान बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान शा.जे.यो. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग 3. विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान शा. कन्या महाविद्यालय, जगदलपुर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान श्री साई बाबा आदर्श महाविद्यालय डिगमा अम्बिकापुर
34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. मिताश्री मित्रा, प्राध्यापक, मानव शास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. डॉ.श्रीमती मोयना चक्रवर्ती मानव शास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर 4. डॉ. निरजा सेन, प्राध्यापक शा.जे.यो.छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर 5. डॉ. अशोक कुमार प्रधान, मानव शास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मानव विज्ञान, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **जीव विज्ञान संकाय अन्तर्गत सूक्ष्म जीवविज्ञान** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सुक्ष्म जीवविज्ञान पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सुक्ष्म जीवविज्ञान बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सुक्ष्म जीवविज्ञान बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सुक्ष्म जीवविज्ञान सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सुक्ष्म जीवविज्ञान दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान शा. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान शा. विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 3. विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान शा. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 4. विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान होलीक्रास वुमेन्स महाविद्यालय, अम्बिकापुर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष,, सुक्ष्म जीवविज्ञान पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर 3. विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान शंकराचार्य महाविद्यालय, दुर्ग 4. विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान लोयला महाविद्यालय, कुनकुरी, जशपुरनगर 5. विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान शास.महाविद्यालय, अंतागढ़

34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. सीमा बेलोरकर,सहायक प्राध्यापक, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर 2. डॉ. स्वाती रोस टौप्पो,सहायक प्राध्यापक, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर 3. डॉ. रचना चौधरी, सहा. प्राध्याापक शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सूक्ष्म जीवविज्ञान, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत जैविकी** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, जैविकी पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, जैविकी पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, जैविकी पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. ए.के.पति, प्राध्यापक जैविकी अध्ययनशाला पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. डॉ.एस.सी.नैथानी, प्राध्यापक जैविकी अध्ययनशाला पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. विजया कोचे, प्राध्यापक जैविकी अध्ययनशाला पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 4. डॉ.एस.के. प्रसाद, प्राध्यापक जैविकी अध्ययनशाला पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 5. डॉ.(श्रीमती) आरती परगनिया प्रवाचक-जैविकी अध्ययनशाला पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, जैविकी, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत वनस्पति शास्त्र** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र शा. दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र शा. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग 3. विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा 4. विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र शा.राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर 5. विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र शासकीय महाविद्यालय, अभनपुर 2. विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र शा. महाविद्यालय, धमधा 3. विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र शा. महाविद्यालय, कोटा 4. विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अम्बिकपुर 5. विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र शा. महाविद्यालय, किरंदुल

34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. स्मृति चक्रवर्ती, प्राध्यापक, शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. डॉ. मंजुला गुप्ता, सहायक प्राध्यापक शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई-3 3. श्री सुधीर कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक शा. जे.पी.मिश्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुंगेली 4. श्री शिवाकांत मिश्रा, सहायक प्राध्यापक शा.महाविद्यालय चिरमिरी 5. श्री सिद्धार्थ चौधरी, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, फरसगांव
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **विज्ञान संकाय अन्तर्गत भूविज्ञान** केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूविज्ञान पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूविज्ञान दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूविज्ञान बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूविज्ञान बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूविज्ञान सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान शा. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान शा. व्ही.वाय.टी.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग 3. विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान शा. ई.रा.राव स्नताकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान शा. राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर 5. विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान शा. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान के.एन. महाविद्यालय कोरबा 2. विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान शासकीय स्नतकोत्तर महाविद्यालय कांकेर

34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. एम.डब्ल्यू. वाय खान, प्राध्यापक भूविज्ञान पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 2. डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, शास. विश्वनाथ तामस्कर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग 3. डॉ. निनाद बोधनकर, प्राध्यापक, भूविज्ञान पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 4. डॉ. के.हरि, प्राध्यापक, भूविज्ञान पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूविज्ञान, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18—2/2017/38—2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 की धारा—34 (ए) की उपधारा—(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14—11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03—10—2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा—34 (ए) की उपधारा—(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **वाणिज्य विषय अन्तर्गत वाणिज्य केन्द्रीय अध्ययन मण्डल** का गठन किया जाता है :—

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34(ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई—3 3. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शा. जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शा. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर 5. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर कोरिया
34(ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय, कोहका नेवरा 2. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शा. महाविद्यालय, थानखम्हरिया, बेमेतरा 3. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शा. अग्रसेन महाविद्यालय खरौद, 4. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, दंतेवाड़ा 5. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय बतौली सरगुजा

34(ए)(3)(iv)कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. जयनाराण केशरवानी, प्राचार्य शासकीय डी.के. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार 2. डॉ. अनिल कुमार जैन, प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर भिलाई 3. श्री हमीद अब्दूल्ला सहायक प्राध्यापक बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर 4. श्री अमित कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव 5. डॉ. एस.एस अग्रवाल प्राचार्य, शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18–2/2017/38–2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–34 (ए) की उपधारा–(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14–11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03–10–2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–34 (ए) की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए **वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत प्रबंध** केन्द्रीय अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :–

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंध पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंध दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंध बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंध बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंध सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, प्रबंध कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई दुर्ग 2. विभागाध्यक्ष, प्रबंध शा. जे.पी. वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 3. विभागाध्यक्ष, प्रबंध स्वामी स्वारूपानंद सरस्वती महावि. हुडको भिलाई
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, प्रबंध शा. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, गंडई 2. विभागाध्यक्ष, प्रबंध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. राजेश कुमार सिंह, सहा.प्राध्यापक प्रबंध शासकीय महाविद्यालय खरौद 2. डॉ. दीपक कुमार शुक्ला, प्राध्यापक प्रबंध शासकीय माता शबरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 3. डॉ. आर.पी.दास, प्राध्यापक प्रबंध पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 4. डॉ. डी.आर. मेश्राम,सहा. प्रा प्रबंध शास. महाविद्यालय गुण्डरदेही 5. डॉ. गोपाल कृष्ण देशमुख, व्याख्याता, प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंध, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

मानीय राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेशानुसार
समरेन्द्र सिंह, उप-सचिव.